समाहरणालय – धनबाद

जिला भू–अर्जन शाखा

आम सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–4 के प्रावधानों के तहत स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के टासरा ओपन कास्ट परियोजना के विस्थापित होने वाले परिवारों के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन हेतु धनबाद जिला अन्तर्गत बलियापुर अंचल के मौजा–आसनबनी (थाना संख्या–192) में कुल रक्वा 44.91 एकड़ भूमि के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन का कार्य किया जा रहा है । उपरोक्त हेतु मेसर्स Social Action for Rural Development (SARDA) के द्वारा एस0आई0ए0 प्रतिवेदन प्रारूप समर्पित किया गया है ।

अतः एस0आई0ए0 के प्रमुख निष्कर्षों पर विमर्श करने हेतु अधिनियम की धारा–5 एवं नियमावली, 2015 के नियम –11 के तहत दिनांक 01.06.2017 को 10.00 बजे पूर्वाहन में प्राथमिक विद्यालय, आसनबनी में लोक सुनवाई निर्धारित की जाती है ।

प्रभावित होने वाले परिवारों से अनुरोध है कि उक्त लोक सुनवाई में उपस्थित होकर सामाजिक समाघात निर्धारण के संबंध में अपने विचार रखने का कष्ट करेंगे।

ह0/–

उपायुक्त, धनबाद

ज्ञापांक–383/भू–अर्जन, धनबाद / दिनांक 11 मई, 2017

प्रतिलिपि– अनुमण्डल पदाधिकारी, धनबाद / अंचल अधिकारी, बलियापुर / मुखिया, बीरसिंहपुर पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि – अपर समाहर्त्ता (विधि–व्यवस्था) सह– नोडल पदाधिकारी, एन0आई0सी0, धनबाद को सूचनार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि उपरोक्त आम सूचना nic के website पर upload करने की कृपा की जाय ।

11/5/17

उपायुक्त, धनबाद

ज्ञापांक–383/भू0अर्जन, धनबाद , दिनांक 11.05.2017

प्रतिलिपि – वरीय पुलिस अधीक्षक, धनबाद को सूचनार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि दिनांक 01.06.2017 को प्राथमिक विद्यालय, आसनबनी (बलियापुर) में विधि व्यवस्था संधारण हेतु पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने की कृपा की जाय ।

11/5/17

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,

धनबाद ।